बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
नर्मदापुरम (होशंगाबाद) रोड, भोपाल म.प्र. 462026

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्र.1793/अकादमी/पाठ्य.प्र./2024 भोपाल, दिनांक 29./08./2024

:: अधिसूचना ::

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है विधि विषय की अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 03/07/2024 में लिये गये निर्णय अनुसार विधि एलएलबी (त्रिवर्षीय), बी.ए. एलएलबी (पंचवर्षीय) एवं एलएल.एम. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में हुए निम्नानुसार संशोधन सत्र 2024-25 से क्रमशः लागू किये जाते है।

1. बी.ए.एलएल.बी. पंचम सेमेस्टर में आपराधिक विधि-। (लॉ ऑफ क्राइम्स-।) के स्थान पर "भारतीय न्याय संहिता 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
2. बी.ए.एलएल.बी. षष्ठम सेमेस्टर में आपराधिक विधि-।। (लॉ ऑफ क्राइम्स-।।) C.R.P.C. के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
3. बी.ए.एलएल.बी. अष्टम सेमेस्टर में साक्ष्य विधि-1872 (लॉ ऑफ एविडेंस) के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
4. एलएलबी तृतीय सेमेस्टर में आपराधिक विधि-।। (लॉ ऑफ क्राइम्स-।।) के स्थान पर "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
5. पंचम सेमेस्टर में साक्ष्य विधि-1872 (लॉ ऑफ एविडेंस) के स्थान पर "भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023" प्रतिस्थापित की जाती है।
6. बी.ए.एलएलबी, एलएलबी एवं एलएल.एम. एवं अन्य विधि पाठ्यक्रमों में जिन भी प्रश्न पत्रों में आई.पी.सी. एवं पी.सी. साक्ष्य एविडेन्स के प्रावधान पढाये जाते थे वे नवीन आपराधिक विधियों के अनुरूप पढाये जायेंगे।
7. एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम से बैंकिंग लॉ विषय को (विलुप्त) विलोपित किया जाए। इस प्रकार एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर में पाँच विषय ही पढाये जायेंगे।
8. एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर का MOOT COURT CLINICAL COURSE का पाठ्यक्रम वर्तमान में 60:40 है MOOT COURT CLINICAL COURSE है इसलिये इसको 100 अंको का प्रायौगिक किया जाता है। जिसमें 90 अंक फाइल एवं 10 अंक बाह्रय परीक्षक (वायवा) के होंगे।
9. बी.ए. एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर का प्रश्न-पत्र मानव अधिकार (ह्यूमन राइट लॉ एण्ड प्रेक्टिस) विषय को बी.ए. एलएलबी दसवें सेमेस्टर में, और दसवें सेमेस्टर का मूटकोर्ट षष्टम सेमेस्टर में पढाया जाएगा। जिससे विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर मूटकोर्ट प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। एवं दसवें सेमेस्टर में मूटकोर्ट के स्थान पर मानव अधिकार विधि प्रतिस्थापित की जाती है।

(कुलगुरू जी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार,

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29/08/2024

पृ. क्रमांक 1794/अकादमी/पाठ.प्र./2024
प्रतिलिपिः-

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित विषय के अध्ययन मण्डल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलगुरू जी की ओर सादर सूचनार्थ।
4. निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सादर सूचनार्थ।
5. निजी नस्ती।

सहा-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल